Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

हरिभजन बनाम जगदीश

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट.............अपील संख्या 60/22

GCMS NO 2022/120

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.2.2025	उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता का बहस के दौरान कथन रहा कि विवादित आराजीयात का अपीलांट 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से मे रेस्पो0 न0 1 व मूल वाद के प्रतिवादी न0 2 ता 6 खातेदार काश्तकार है। हाल खाता संख्या 164 मे दर्ज ख0न0 300 रकबा 85 है0, 307 रकबा 0.39 है0 ग्राम अजीजपुर मे अपीलांट 1/4 हिस्से का तथा शेष हिस्से के रेस्पो0 संख्या 1 व मूल वाद प्रतिवादी न0 2 ता 6 खातेदार काश्तकार है। अपीलांट व रेस्पो0न0 1 व अन्य ने अपने अपने हिस्से के अनुसार बांहमी बंटवारा कर रखा है। लेकिन अपीलांट व रेस्पो0 न0 1 व अन्य खातेदारान के मध्य रिकार्डेड बंटवारा नही होने से विवाद बना रहता है। बिना बंटवारे के ही रेस्पो0 आराजीयात पर पक्का निर्माण करने पर आमादा है। इस प्रकार बिना बंटवारे की भूमि पर किये जा रहे निर्माण को रोके जाने हेतु रेस्पो0 को पाबन्द किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजीयात का अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व बहामी बंटवारा हो चुका है। अपीलांट द्वारा अपने हिस्से की भूमि मे मकान बना रखा है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी प्रकार से दखल नही किया जाता है। अपीलांट बेवजह रेस्पो0 को परेशान करने की गरज से न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश करता रहता है। इसके द्वारा पूर्व मे भी रामसिह के खिलाफ स्थगन ले लिया था। अपीलांट सहखातेदार को किसी भी प्रकार से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट एवं रेस्पो0 के मध्य विवादित आराजीयात को लेकर बंटवारे का दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। जिसमे उनके अधिकारो का निर्धारण तय किया जावेगा। यहॉ प्रकरण बिना बंटवारे के ही भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य से संबंधित है। इस प्रकार विवादित आराजीयात के उभयपक्ष सहखातेदार है। इस प्रकार उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे की बाद वाहुलता को बढावा नही मिले। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। उभयपक्षकारान को दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात ख0न0 161, 163,164,165,16[illegible] 179,180, 182,183, कुल किता 13 कुल रकबा 2.27 [illegible] ग्राम अजीजपुर तहसील टोडाभीम पर किसी प्रकार का [illegible] निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:40:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner